न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आर टी ए / 132 / 2015

उनवान

1. मांगीदेवी पत्नि स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. माधु पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. लक्ष्मण पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
4. हजारी पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
5. नारायणी पुत्री गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, करेडा
के प्रकरण संख्या 55 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.5.2015

अभिभाषक : 1. श्री एम एल सेन अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 24.11.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क, 188 राजस्थान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 मांगी देवी एवं वादी संख्या 2 से 5 के पिता गोकल पिता नंदा तेली निवासी अमरपुरा द्वारा दिनांक 26.6.89 को आवंटन कमेटी के समक्ष भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने उसकी पत्नि द्वारा दिनांक 27.1.1987 को नसबंदी कराई जिसके आधार पर अपीलार्थीया के पति गोकल पिता नंदा तेली निवासी अमरपुरा के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26 जून 1989 को ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा की बिलानाम कृषि आराजी नम्बर 4380 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया । तभी से वादग्रस्त गोकल पिता नन्दा तेली एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए काफी राशि व श्रम लगाया है। दिनांक 25 फरवरी 2014 को पटवारी हल्का मौके पर आये एवं वादीगण को कब्जा हटाने को कहा । तब जाकर वादीगण को जानकारी हुई कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होने के बावजूद मौके पर कब्जा लेने से इंकार बाबत मौका पर्चा बना दिया जिससे उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता व पति गोकल के नाम पर दर्ज नहीं हुई। इस पर वादिया ने तहसीलदार करेडा के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त भूमि को वादीगण के नाम पर दर्ज करने का निवेदन कया । जिस पर उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का निर्देश दिया । तब जाकर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण आवंटन के समय से ही काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का एडवर्स पजेशन भी है जिसके आधार पर भी वादीगण वादग्रस्त आराजियात के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपीलार्थीगण गरीब होकर भूमिहीन काश्तकार है जिनके पास वादग्रस्त आराजियात के अलावा अन्य कोई कृषि भूमि नहीं है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करें एवं वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीया मांगीदेवी ने दिनांक 27.1.1987 को करेडा में परिवार नियोजन के तहत नसबंदी कराई जिसके आधार पर अपीलार्थीया के पति गोकल पिता नंदा तेली निवासी अमरपुरा के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम करेडा की बिलानाम कृषि आराजी नम्बर 4380 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। मौके पर कब्जा भी सुपुर्द किया गया । तभी से उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता/पति व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि का भूमाफियाओं द्वारा फर्जी इन्कारीनामा बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत कर दिया जिसमें अपीलार्थीगण एवं उनके पिता/पति को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आवंटन को दिनांक 20.7.1993 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खारिज कर दिया । इस कारण इन्द्राज दुरूस्ती हेतु अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसे खारिज कर दिया गया । जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त आवंटन के समय से ही चला आ रहा है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई तहकीकात नहीं की एवं न ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया था। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्कारीनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया है जबकि उस पर कोई जांच नहीं की है। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

6. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण का कथन है कि अपीलार्थीया संख्या 1 मांगी देवी ने दिनांक 27.1.1987 को करेडा परिवार नियोजन के तहत नसबंदी कराई जिसके आधार पर अपीलार्थीया के पति गोकल पिता नंदा तेली निवासी अमरपुरा के नाम पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम करेडा पटवार हल्का करेडा की बिलानाम कृषि आराजी नम्बर 4380 में से 3 बीघा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि का आवंटन किया गया एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया । तभी से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के पिता / पति को सुपुर्द गई हो। जहॉ तक अपीलार्थीगण का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। परन्तु अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त होने संबंधी कोई दस्तावेज जमाबंदी, जिन्स गिरदावरी की प्रतियॉ प्रस्तुत नहीं की है। अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका एडवर्स पजेशन है जिसके आधार पर वे वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण का लगतार कब्जाकाश्त होना प्रमाणित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

8. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.5.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

24/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आर टी ए / 132 / 2015

उनवान

1. मांगीदेवी पत्नि स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
2. माधु पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
3. लक्ष्मण पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
4. हजारी पिता स्व0 गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा
5. नारायणी पुत्री गोकल तेली निवासी अमरपुरा तहसील करेडा जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, करेडा
के प्रकरण संख्या 55 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.5.2015

अभिभाषक : 1. श्री एम एल सेन अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 132 / 2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, करेडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

यह अपील तारीख 24.11.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एम एल सेन वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री राजकीय अधिवक्ता श्री ओ पी सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 24.11.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.5.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 24.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

24/11/17

(निमिषा गुप्ता)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. ाक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. ाक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस